प्रकरण संख्या 29/2025 कल्याणसिंह व अन्य बनाम भानुप्रतापसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की आराजी नंबर 2851, 2855, 3278 कुल किता 3 रकबा 2.4500 हैक्टर भूमि मौजा वरडा, तहसील बड़गांव में स्थित है। आराजी नंबर 2851 से लगती हुई विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 2848 व 2849 है तथा उसके आगे विपक्षी संख्या 2 से 8 की आराजी नंबर 3391 है एवं उसके आगे विपक्षी संख्या 9 की आराजी नंबर 3392 व उसके आगे विपक्षी संख्या 10 से 18 की आराजी नंबर 3394 तथा उसके आगे विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 3399 स्थित है एवं उसके लगता हुआ आम रास्ता आराजी नंबर 3398 है, जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज होकर किस्म रास्ता है, जो डामरीकृत रास्ता है, जिससे होकर प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की आराजी में संदीप से आते–जाते हैं अन्य कोई रास्ता नहीं है, किन्तु अब विपक्षीगण तारबन्दी कर रहे हैं, जिससे प्रार्थीगण का रास्ता बन्द हो जायेगा तथा वह अपने बेशकीमती भूमि के उपयोग उपभोग से बंचित हो जायेंगे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी नंबर 2848, 2849, 3391, 3392, 3394, 3399, 3398 में से 30 फिट रास्ते की भूमि का अधिग्रहण किया जाकर रास्ता घोषित किया और उसे कायम कराया जावे। विपक्षी संख्या 11 ने प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण जिस आराजी नंबर 2851, 2855, 3278 में जाने हेतु रास्ते की मांग की है, वह पहाड़ी भूमि होकर उसमें किसी प्रकार की काश्त नहीं होती है, इसलिए रास्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण के आराजी के दक्षिण तरफ आराजी नंबर 3282 व 3279 से लगता हुआ डामरीकृत रोड़ है जहां से प्रार्थीगण की भूमि मा[illegible] 1.4 [illegible]र है है। प्रार्थीगण चाहे तो उक्त भूमि में से [illegible] है। प्रार्थीगण ने 30 फिट रास्ते की मांग की है, जबकि राजस्थान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:16 IST
Reason: SelfAttested

	काश्तकारी अधिनियम में 30 फिट रास्ते दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.05.2025 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.06.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित। अपीलान्ट की अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे केवल पटवारी के मौका पर्चा अनुसार अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। मौका देखने का अधिकार रेवेन्यू इन्सपेक्टर से कम पद के व्यक्ति को नहीं है। आदेशिका दिनांक 19.12.2024 को समाचार पत्र में प्रकाशन मात्र 10 व्यक्तियों का ही कराया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12.05.2025 की है, जबकि आदेश दिनांक 08.5.2025 का है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1128, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 649, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1543, आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 548 प्रस्तुत की। उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थीगण की भूमि की किस्म पहाड़ी है, जिस पर किसी प्रकार की काश्त नहीं होती है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के और भी कई रास्ते हैं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 29/2025 कल्याणसिंह व अन्य बनाम भानुप्रतापसिंह व अन्य

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के बिन्दु संख्या 5 में यह अंकित किया है कि "प्रकरण में विपक्षी संख्या 11 के अलावा शेष विपक्षीगणों द्वारा तलबी पूर्ण होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए उन्हें दिनांक एक्स–पार्टी घोषित किया गया।" जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई आदेशिका अंकित नहीं है, जिसमें विपक्षीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हों। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 23 पर तहसीलदार बड़गांव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दिनांक 12–05–2025 अंकित है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बिन्दु संख्या 6 में भी तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12–05–2025 का अंकन है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–05–2025 का है। अर्थात रिपोर्ट प्रस्तुत होने के 5 दिन पूर्व ही निर्णय पारित कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 125/2024 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2025 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं इस बाबत् तहसीलदार बड़गांव से पुनः मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.10.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति [illegible])
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:16 IST
Reason: SelfAttested